

**Uttar Pradesh Shasan
Nagar Vikas Anubhag-1**

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no.-3659 /9-1-2022- 424Sa./12T.C.(1) dated November 28, 2022:


NOTIFICATION

No.- 3659 /9-1-2022-424Sa./12T.C.(1)

Lucknow; Dated: November 28, 2022

In exercise of powers under sub-section (1) of section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. 2 of 1916) read with Article 243-Q of the Constitution, the Governor is pleased to rescind Notification no. 2527/IX-1-2020-424SA/2012T.C.(1) dated 20th December, 2020 except as respect things done or omitted to be done before such rescission.

By order,


(Amrit Abhijat)
Principal Secretary.

1022-3

Adm (C)

28/11/22

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-1
संख्या-3659/9-1-2022-424सा./12टी.सी.(1)
लखनऊ : दिनांक 28 नवम्बर, 2022

अधिसूचना

भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-'घ' के साथ पठित उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, अधिसूचना संख्या-2527/9-1-2020-424सा./12टी.सी.(1), दिनांक 20 दिसम्बर, 2020 का उन बातों के सिवाय विखण्डन करती है, जो ऐसे विखण्डन के पूर्व की गयी हों या किये जाने हेतु लोपित हों।

आज्ञा से,

(अमृत भाभजात)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना का एक अंग्रेजी प्रारूप सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशवाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को दिनांक-28 नवम्बर, 2022 के असाधारण गजट में वियायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कराकर उसकी 25-25 प्रतियां शासन को प्रेषित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना की एक अंग्रेजी प्रारूप सहित नि-नलेखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- (1) मण्डलायुक्त, अलीगढ़, मण्डल, अलीगढ़।
- (2) जिलाधिकारी, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को एक स्थानीय समाचार पत्र और राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- (3) सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (4) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, लखनऊ।
- (5) निदेशक, जनगणना निदेशालय, भारत सरकार, अलीगंज, लखनऊ।
- (6) निदेशक, स्थानीय निकाय, उOप्रO लखनऊ।
- (7) निदेशक, पंचायतीराज, उOप्रO लखनऊ।
- (8) गार्ड फाइल।

LBe/Tac

Adm (C)

आज्ञा से,
(महावीर प्रसाद)
अनु सचिव।